

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक :- 14/विविध/05-37/2016-/ राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के परिक्षेत्राधीन मलय जलाशय योजना के अन्तर्गत Execution Case No.-22/2013 स्व० केस्टो तिवारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले से संबंध F.A. No.-27/2014 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम स्व० केस्टो तिवारी एवं अन्य मामले में माननीय जिला/उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय एवं प्रदत्त निदेश के आलोक में भुगतान हेतु राशि ₹ 14.77 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के परिक्षेत्राधीन मलय जलाशय योजना के अन्तर्गत Execution Case No.-22/2013 स्व० केस्टो तिवारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले से संबंध F.A. No.-27/2014 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम स्व० केस्टो तिवारी एवं अन्य मामले में माननीय जिला/उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय एवं प्रदत्त निदेश के आलोक में भुगतान हेतु राशि ₹ 14.77 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. प्रस्तावित राशि मलय जलाशय योजना अन्तर्गत सिंहराही डिस्ट्रीब्यूटरी नहर के भू-अर्जन वाद में पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना है।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-
मुख्य शीर्ष 4701 मध्यम सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-64 छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण विस्तृत शीर्ष 05,-निर्माण, 45 निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारित होगा।
5. प्रस्तावित भुगतान जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा कराया जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
6. राशि की निकासी पलामू कोषागार, मेदिनीनगर से की जायेगी।
7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2017-18 के बजट में उपबंध है।

9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।
12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 14 / विविध / 05-37 / 2016- / राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 14 / विविध / 05-37 / 2016- / राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पलामू, मेदिनीनगर कोषागार, पलामू मेदिनीनगर झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 14 / विविध / 05-37 / 2016- / राँची, दिनांक 09.08.2017

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

14/08/2017